

भारतीय दूरसंचार क्षेत्र

भूमिका

दूरसंचार सेवाओं को विश्वभर में किसी राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु एक महत्वपूर्ण उपादान माना गया है। यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के तीव्र विकास और आधुनिकीकरण हेतु आवश्यक एक महत्वपूर्ण सहायक सेवा है। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में उल्लेखनीय नीतिगत सुधारों द्वारा, विशेषकर एनटीपी 1994 की घोषणा से आरंभ होकर व्यापक परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू हुई है जिसे बाद में एनटीपी 1999 में पुनः जोर देते हुए और आगे बढ़ाया गया है। विभिन्न नीतिगत पहलों द्वारा प्रेरित भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में गत दशक के दौरान सम्यक और आमूल परिवर्तन हुआ है। इसमें गत कुछ वर्षों के दौरान अभूतपूर्व विकास हुआ है और इसमें भविष्य में भी काफी अधिक विकास की संभावना बनी हुई है।

दूरसंचार क्षेत्र की स्थिति

भारत का दूरसंचार नेटवर्क जिसमें 430 मिलियन कनेक्शन हैं (31 मार्च 2009 की स्थिति), विश्व में तीसरा सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क है। इस क्षेत्र में हाल के वर्षों में 46-50% की दर से विकास हो रहा है। यह तीव्र विकास सरकार के विभिन्न पहलकारी और सकारात्मक निर्णयों तथा सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के सहयोग के कारण संभव हुआ है। दूरसंचार क्षेत्र में तीव्र विकास के लिए सरकार की उदार नीतियाँ सहायक सिद्ध हुई हैं जिनके कारण दूरसंचार उपकरण बाजार में आसानी से उपलब्ध हुए हैं तथा भारतीय उपभोक्ताओं को वहनीय मूल्यों पर दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए एक निष्पक्ष नियामक ढाँचा उपलब्ध हुआ है। सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के विकास हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलों की है :

उदारीकरण

देश में उदारीकरण की प्रक्रिया सही अर्थों में जुलाई, 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा के साथ शुरू हुई। दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण को 1991 में लाइसेंसमुक्त कर दिया गया और मूल्य योजित सेवाएं 1992 में निजी क्षेत्र के लिए खोल दी गईं जिसके बाद रेडियो पेजिंग, सेल्युलर मोबाइल और अन्य मूल्य योजित सेवाओं को भी धीरे-धीरे निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। इसके परिणामस्वरूप देश में बहुत-सी विनिर्माणकारी इकाइयाँ स्थापित की गईं। फलस्वरूप दूरसंचार क्षेत्र में प्रयुक्त अधिकांश उपकरण देश के भीतर ही विनिर्मित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के संबन्ध में 13 मई 1994 के संकल्प में दूरसंचार क्षेत्र को उदार बनाने के सरकार के इरादे द्वारा इस क्षेत्र के उदारीकरण की स्पष्ट घोषणा एक बड़ा कदम थी।

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994

सरकार ने 1994 में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा की जिसमें मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराने, उचित मूल्यों पर विश्वस्तरीय सेवा प्रदान करने, वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा को उन्नत बनाने और निर्यात को बढ़ावा देने, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षिक करने और घरेलू निवेश को बढ़ावा देने, भारत को दूरसंचार उपकरणों का एक प्रमुख विनिर्माता/निर्यातक देश बनाने और सभी गांवों में बुनियादी दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध करना सुनिश्चित करने सहित कतिपय महत्वपूर्ण उद्देश्यों का उल्लेख किया गया। इसमें वर्ष 1997 तक प्राप्त किए जाने वाले कुछ विशिष्ट लक्ष्यों की भी उद्घोषणा की गई।

अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 देखें

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई)

निजी सेवा प्रदाताओं के प्रवेश से स्वतंत्र विनियमन अनिवार्य हो गया। इस प्रकार दूरसंचार सेवाएं जिनमें दूरसंचार सेवाओं के प्रशुल्कों के निर्धारण/संशोधन का कार्य शामिल है, जो पहले केंद्र सरकार के पास था, को विनियमित करने के लिए संसद द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 नामक अधिनियम के तहत 20 फरवरी, 1997 से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्थापना हुई।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का मिशन देश में दूरसंचार के विकास के लिए इस ढंग और गति से ऐसे माहौल को सृजित और विकसित करना है जिसमें नई वैश्विक सूचना सोसायटी में भारत को अहम भूमिका निभाने में सहायता मिले। ट्राई के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य निष्पक्ष और पारदर्शी नीति परिवेश प्रदान करना है जिससे सेवा प्रदाताओं को समान अवसर प्रदान करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को सुविधाजनक बनाने में बढ़ावा मिलेगा। उपर्युक्त उद्देश्य के अनुपालन में ट्राई ने अपने समक्ष आने वाले मुद्दों के समाधान के लिए समय-समय पर भारी संख्या में विनियमन, आदेश और दिशानिर्देश जारी किए हैं और भारतीय दूरसंचार बाजार के विकास के लिए सरकार के स्वामित्व वाले एकाधिकार प्राप्त बाजार को बहु प्रचालक बहु सेवा खुली प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के लिए अपेक्षित दिशानिर्देश प्रदान किए हैं। जारी किए गए दिशानिर्देश, आदेश और विनियमन व्यापक तौर पर संबंधित विषयों को कवर करते हैं जिनमें प्रशुल्क, अंतर्संयोजन और सेवा की गुणवत्ता के साथ-साथ प्राधिकरण की शासन व्यवस्था भी शामिल है।

ट्राई अधिनियम को ट्राई से अधिनिर्णायक और विवाद संबंधी कार्यों का अधिग्रहण करने के लिए दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण (टीडीएसएटी) की स्थापना करने के संबंध में 24 जनवरी, 2000 से प्रभावी एक अध्यादेश के तहत संशोधित किया गया था। टीडीएसएटी की स्थापना लाइसेंसदाता और लाइसेंसधारक के बीच, दो अथवा अधिक सेवा प्रदाताओं के बीच, एक सेवा प्रदाता और उपभोक्ता समूह के बीच किसी विवाद पर निर्णय देने और ट्राई के किसी निर्देश, निर्णय अथवा आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई और निपटारा करने के लिए की गई थी।

अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट <http://www.trai.gov.in/> <http://www.tdsat.nic.in/> देखें।

नई दूरसंचार नीति 1999

भारत में दूरसंचार सुधार का अत्यधिक महत्वपूर्ण मील का पत्थर और उपाय नई दूरसंचार नीति 1999 (एनटीपी 99) है। नई दूरसंचार नीति, 1999 (एनटीपी-99) 26 मार्च, 1999 को अनुमोदित की गई थी और 1 अप्रैल, 1999 से लागू की गई। एनटीपी-99 में भावी सुधारों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश, निजी क्षेत्र में भागीदारी के लिए दूरसंचार क्षेत्र के सभी सेगमेंटों के खोले जाने पर विचार करना निहित है। इसमें स्पष्ट रूप से विनियामक व्यवस्था को सशक्त बनाने के साथ निजी क्षेत्र के निगम की तुलना में विभागीय दूरसंचार सेवाओं के पुनर्गठन की जरूरतें मानी गई हैं ताकि सरकार के लाइसेंसिंग और नीतिगत कार्यों को प्रचालक होने पर उससे अलग कराया जा सके। इसमें प्रचालकों के समक्ष व्याप्त समस्याओं के समाधान की आवश्यकता भी मानी गई है ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े और पूंजी निवेश के परिवेश में सुधार हो सके। एनटीपी-99 प्रमुख विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं :-

- विनियामक का सशक्तीकरण
- राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाएं निजी प्रचालकों के लिए खोली गईं
- अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाएं निजी प्रचालकों के लिए खोली गईं

- निजी दूरसंचार प्रचालकों को राजस्व हिस्सेदारी और साथ में एक बारगी प्रवेश शुल्क के आधार पर लाइसेंस दिए गए। मौजूदा प्रचालकों की समस्याओं के समाधान की परिकल्पना की गई है।
- सेवा क्षेत्र के अंदर अन्य दूरसंचार प्रचालकों के साथ सीधे अंतर्संयोजकता और नेटवर्क के साझा प्रयोग की मंजूरी।
- वर्ष 2000 में दूरसंचार सेवा विभाग (डीटीएस) को निगम बनाया गया।
- स्पेक्ट्रम प्रबंधन को पारदर्शी तथा ज्यादा दक्षतापूर्ण बनाया गया।

एनटीपी 99 के अंतर्गत की गई सभी प्रतिबद्धताओं में से प्रत्येक को पूर्ण रूप से पूरा किया गया है और कुछ को नियत तारीख से भी पहले पूरा कर लिया गया है तथा दूरसंचार के सभी क्षेत्र, निजी प्रतिस्पर्धा के लिए खुलने के साथ सुधार प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है।

विस्तृत ब्योरे के लिए, नई दूरसंचार नीति, 1999 देखें

राष्ट्रीय लंबी दूरी

राष्ट्रीय लंबी दूरी निजी भागेदारी के लिए खुल चुकी है। सरकार ने 13.08.2000 को प्रचालकों की संख्या पर बिना किसी प्रतिबंध के, राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा में निजी क्षेत्र के प्रवेश संबंधी दिशानिर्देशों की घोषणा की। राष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालकों के लिए, दूरसंचार विभाग के लाइसेंस संबंधी दिशानिर्देश भी जारी किए गए।

मुख्य बिंदु - एनएलडी दिशानिर्देश

- अंतर-सर्किल और अंतरा-सर्किल कॉलों को ले जाने के लिए असीमित प्रवेश।
- कुल विदेशी इक्विटी (एनआरआई और अंतरराष्ट्रीय पोषित एजेंसियों सहित) 74% से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रोत्साहकों के पास कुल मिलाकर 25 मिलियन ₹ का निवल मूल्य होना चाहिए।
- सर्किल के अंदर लंबी दूरी और अल्प दूरी प्रभारण केंद्रों में परियात के लिए, निजी प्रचालकों को फिक्सड-सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर व्यवस्था करनी होगी।
- नेटवर्क के रॉल आउट के लिए, सात वर्ष का समय निर्धारित किया गया है जो कि चार चरणों में विभाजित है। नेटवर्क कवरेज में कोई कमी आने पर उस चरण की बैंक प्रत्याभूति को भुना लिया जाएगा और जब्त कर लिया जाएगा।
- निजी प्रचालकों को एक साथ 25 मिलियन ₹ का प्रविष्टि शुल्क और 200 मिलियन ₹ की वित्तीय बैंक प्रत्याभूति (एफबीजी) अदा करनी होगी। राजस्व साझा करार 6% तक का होगा।
- निजी प्रचालकों को ऐसी स्थलीय सुविधाएं शुरू करने की इजाजत दी गई है जिससे सबमरीन केबलों और उपलब्ध अधिक बैंडविड्थ का लाभ उठाया जा सकेगा।

लाइसेंस की अवधि 20 वर्षों के लिए होगी जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय लंबी दूरी पर विजिट करें

अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी

अंतरराष्ट्रीय टेलीफोनी के क्षेत्र में, भारत जीएटीएस के अंतर्गत 2004 में अपनी शुरुआत के पुनरीक्षण के लिए सहमत हो गया है। तथापि इस क्षेत्र में अप्रैल 2002 से ही खुली प्रतिस्पर्धा की अनुमति थी। अब इस क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। आईएलडी सेवा के लिए लाइसेंस शुरू में 20 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया गया है जिसमें स्वतः ही 5 वर्ष की अवधि का विस्तार हो जाता है। आवेदक कंपनी 25 मिलियन रु० के एक-बारगी अप्रतिदेय प्रवेश शुल्क का भुगतान करती है तथा साथ ही 250 मिलियन रु० की एक बैंक प्रत्याभुति भी देती है जिसे रॉल आउट दायित्वों के पूरा होने पर छोड़ दिया जाएगा। यूएसओ अंशदान सहित वार्षिक लाइसेंस शुल्क समायोजित सकल राजस्व का 6 प्रतिशत है तथा स्पेक्ट्रम के प्रयोग और बेतार टेलीग्राफी उपस्कर को अपनाने के लिए अलग से शुल्क/रायल्टी का भुगतान करना होता है। वर्तमान में 24 अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा प्रदाता (22 निजी तथा 2 सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) है। आईएलडी लाइसेंस के अंतर्गत चालू रॉल आउट दायित्वों के अनुसार, लाइसेंसधारी कम से कम एक लंबी दूरी सेवा लाइसेंसधारी के साथ उपयुक्त इंटरकनेक्शनों वाले कम से कम एक गेटवे स्विच की संस्थापना के लिए निम्नतम रॉल आउट दायित्वों को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता है। लेवल 1 टेक्स के शेष स्थान में प्वाइंट और प्रेजेस (पीओपी) या गेटवे स्विचों की संस्थापना पर कोई रोक नहीं है। अधिमानतः इन पीओपी को खुला नेटवर्क स्थापत्य (ओएनए) के अनुकूल होना चाहिए अर्थात् अन्य वाहक के नेटवर्क के साथ निर्बाध कार्य की सुनिश्चितता के लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानकों पर आधारित होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए, अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी पर विजिट करें।

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि

1 अप्रैल, 2002 से सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की संस्थापना हेतु अन्य मुख्य कदम उठाए जाने थे। इस उद्देश्य के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति की गई थी। तदन्तर, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) को सांविधिक दर्जा प्रदान करने वाला एक अधिनियम भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 2003, दिसंबर, 2003 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। निधि का उपयोग केवल सार्वभौमिक सेवा दायित्व को पूरा करने के लिए किया जाना है तथा निधि में जमा बकाया राशि वित्तीय वर्ष के अंत में बेकार नहीं जाएगी। निधि में जमाओं को संसदीय अनुमोदनों के माध्यम से किया जाएगा। निधि के संचालन के लिए निर्धारित नियमों को भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जाता है जिसे 26.03.2004 को अधिसूचित किया गया था।

यूएसओ के कार्यान्वयन के लिए संसाधन सार्वभौमिक सेवा लेवी (यूएसएल) के माध्यम से उत्पन्न हुए हैं जो फिलहाल इंटरनेट, वाइसमेल, ई-मेल सेवा प्रदाताओं आदि जैसे पूर्ण मूल्य वर्द्धित सेवा प्रदाताओं को छोड़कर सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का 5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार भी अनुदान और ऋण दे सकती है। देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय तार अधिनियम, 1885 को संशोधित करके भारतीय तार (संशोधन) अध्यादेश 2006 के रूप में दिनांक 30.10.2006 को एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था। तदन्तर, भारतीय तार अधिनियम, 1885 में संशोधन करने के लिए भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 2006 के रूप में 29.12.2006 को एक अधिनियम पारित किया गया। अधिक जानकारी के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि पर विजिट करें।

एकीकृत अभिगम सेवा

एकीकृत अभिगम लाइसेंस व्यवस्था नवंबर, 2003 में शुरू की गई थी। एकीकृत अभिगम सेवाओं के प्रचालक अपने प्रचालन क्षेत्र के भीतर सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं जिनमें सर्किट और/अथवा पैकेट स्विच उपस्कर संस्थापित करके लाइसेंसधारक के नेटवर्क पर वायस और/अथवा नान-वायस संदेशों को प्राप्त करना, उनका संवहन, पारेषण और वितरण किया जाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, लाइसेंसधारक अपने सेवा क्षेत्र के भीतर के उपभोक्ताओं को अपने नेटवर्क में, कोई भेदभाव किए बिना मूल्यवर्द्धित सेवाओं के रूप में वायस मेल, आडियोटेक्स सेवाएं, वीडियो कान्फ्रेंसिंग, वीडियोटेक्स, ई-मेल, क्लोज्ड यूजर ग्रुप (सीयूजी) की सुविधाएं भी प्रदान कर सकता है। एकीकृत अभिगम सेवाएं (यूएस) प्रदान करने की दृष्टि से देश को 23 सेवा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिसमें 19 दूरसंचार सर्किल और 4 महानगर सेवा क्षेत्र शामिल हैं। एकीकृत अभिगम सेवा हेतु लाइसेंस किसी लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्र के प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र के भीतर, 20 वर्ष की अवधि के लिए, गैर-विशिष्ट आधार पर जारी किया जाता है जिसकी अवधि को एकबारगी 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। महानगर और श्रेणी "क", श्रेणी "ख" और श्रेणी "ग" सेवा क्षेत्रों के लिए लाइसेंस शुल्क समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का क्रमशः 10%, 8% और 6% है। स्पेक्ट्रम के उपयोग तथा वायरलेस टेलीग्राफी उपस्कर को अपने अधिकार में रखने हेतु राजस्व तथा शुल्क रायल्टी अलग से देय होंगे। फ्रिक्वेंसियों का आबंटन दूरसंचार विभाग के डब्ल्यू पी सी स्कंध द्वारा, लागू राष्ट्रीय फ्रिक्वेंसी आबंटन योजना में अभिनिर्धारित फ्रिक्वेंसी बैंडों से और विभिन्न प्रयोक्ताओं के समन्वय से किया जाता है बशर्ते कि यह दुर्लभ स्पेक्ट्रम उपलब्ध हो।

अधिक जानकारी के लिए देखें (सीएमटीएस तथा एकीकृत अभिगम सेवा)

इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी)

इंटरनेट सेवा की शुरुआत इंटरनेट के विकास और इसके समावेश में वृद्धि को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से 1998 में निजी भागीदारी के लिए की गई थी। इस समयावधि के दौरान इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और इसकी वजह से प्रौद्योगिकीय प्रवीणता को सुकर बनाने तथा विभिन्न सेवाएं प्रदान करने हेतु उपाय करना आवश्यक हो गया। सरकार ने सामान्य तौर पर सार्वजनिक हित में, और विशेष तौर पर उपभोक्ता के हित में तथा तार एवं दूरसंचार सेवाओं के समुचित रूप से संचालन हेतु गैर-विशिष्ट आधार पर इंटरनेट सेवाओं के लाइसेंस प्रदान करने के लिए नए दिशा-निर्देश (ब्योरे) जारी करने का निर्णय किया। लाइसेंस प्रदान किए जाने की दृष्टि से अधिकतम 74% की विदेशी इक्विटी वाली कोई भी भारतीय कंपनी योग्य होती है।

ब्रॉडबैंड नीति 2004

सकल घरेलू उत्पाद के विकास में सर्वव्यापी ब्रॉडबैंड सेवा की संभावना को स्वीकारते हुए और सूचना तथा वेब आधारित संचार की उच्च गति से अभिगम्यता के माध्यम से टेली-एजुकेशन, टेली-मेडिसिन, ई-गवर्नेंस, मनोरंजन के साथ-साथ रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाने सहित सामाजिक रूप से इसके अनुप्रयोगों के जरिए जीवन स्तर के संवर्द्धन हेतु सरकार ने अक्टूबर, 2004 में ब्रॉडबैंड नीति की घोषणा की है। इसमें मुख्य रूप से विभिन्न प्रौद्योगिकियों के माध्यम से ऐसी अवसंरचना के सृजन पर जोर दिया गया है जो ब्रॉडबैंड सेवाओं के विकास में योगदान दे सकें। इन प्रौद्योगिकियों में ऑप्टिकल फाइबर, एसिमिट्रिक डिजिटल उपभोक्ता लाइनें (एडीएसएल), केबल

टीवी नेटवर्क, डीटीएच आदि शामिल हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को "सदा चालू रहने वाली" सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें न्यूनतम 256 केबीपीएस की गति होती है। यह अनुमान है कि ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 2007 तक 9 मिलियन और 2010 तक 20 मिलियन हो जाएगी। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की दृष्टि से, 2.4 गीगाहर्ट्ज 2.4835 गीगाहर्ट्ज बैंड में कम शक्ति वाली वाई-फाई और वाई-मैक्स प्रणालियों के आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के उपयोग को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। 5.15-5.35 गीगाहर्ट्ज और 5.725-5.875 गीगाहर्ट्ज बैंडों में भी कम शक्ति वाली आंतरिक प्रणालियों के उपयोग को भी जनवरी, 05 में लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। साकफा/डब्ल्यूपीसी से अनुमति लेने की प्रक्रिया को भी सरल बना दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज (निक्सी) की स्थापना से अंतरराष्ट्रीय बैंडविड्थ की लागत को काफी हद तक कम करने में सहायता मिलेगी और इससे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को और अधिक वहनीय बनाया जा सकेगा।

नीति तैयार करते समय जिन बातों पर मुख्य रूप से विचार किया गया है उनमें ब्रॉडबैंड सेवाओं की वहनीयता और विश्वसनीयता, अतिरिक्त अवसंरचना के सृजन हेतु प्रोत्साहन दिया जाना, रोजगार के अवसर प्रदान करना, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का समावेश करना, राष्ट्रीय सुरक्षा पर विचार किया जाना और प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का निर्माण किया जाना शामिल है ताकि विनियामक हस्तक्षेपों को कम किया जा सके।

इस नई नीति के द्वारा, सरकार का इरादा सुरक्षा की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर वी सैट सेवाओं के लिए ट्रांसपोर्ट क्षमता उपलब्ध कराने का है। सेवा प्रदाताओं को केबल टीवी नेटवर्क के प्रचालकों के साथ फ्रैंचाइजी करार करने की अनुमति दी गई है। तथापि, लाइसेंसधारक लाइसेंस के निबंधनों और शर्तों के अनुपालन हेतु उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, डीटीएच सेवाओं के मामले में, सेवा प्रदाताओं को रिसीव-ओनली-इंटरनेट सर्विस प्रदान करने की अनुमति दी गई है। ब्रॉडबैंड सेवाओं का लाभ इसके प्रयोक्ताओं को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने की दृष्टि से अन्य सेवा प्रदाताओं जैसे बिजली प्राधिकरणों, विभिन्न राज्य सरकारों के सूचना प्रौद्योगिकी विभागों स्थानीय स्वशासी सरकारों के विभागों, पंचायतों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों, शिक्षा विभागों, की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

वर्ष 2010 तक 20 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करने का और वर्ष 2010 तक समस्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों और पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी वाले लगभग 20,000 मौजूदा एक्सचेंजों से ग्रामीण क्षेत्रों में एडीएसएल 2 प्लस प्रौद्योगिकी (ऑन वायर) वाली 512 केबीपीएस की कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों के उपर्युक्त 20,000 एक्सचेंजों के नजदीकी सामुदायिक सेवा केंद्रों, माध्यमिक विद्यालयों, बैंकों, स्वास्थ्य केंद्रों, पंचायतों, पुलिस स्टेशनों आदि को इसकी कनेक्टिविटी प्रदान की जा सकती है। प्रयोक्ताओं को वहनीय प्रशुल्कों पर ब्रॉडबैंड सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार विभाग यूएसओ निधि की सहायता के माध्यम से ब्रॉडबैंड नेटवर्क की अवसंरचना लागत के प्रति आर्थिक सहायता प्रदान करेगा।

विस्तृत जानकारी के लिए देखें [ब्रॉडबैंड नीति 2004](#)

प्रशुल्क परिवर्तन

भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में प्रशुल्क संरचना में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। दूरसंचार प्रशुल्क आदेश (टीटीओ), 1999 जो विनियामक (ट्राई) द्वारा जारी किया गया, से प्रशुल्क को संतुलित करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी ताकि उन्हें लागत के समीप लाया जा सके। कार्लिंग पार्टी पे (सीपीपी), एडीसी में कटौती और बढ़ी हुई प्रतिस्पर्द्धा से संपूरक सहायता के साथ इसके परिणामस्वरूप प्रशुल्क में नाटकीय कमी आयी है।

- 1000 किमी से अधिक के लिए व्यस्ततम राष्ट्रीय लम्बी दूरी का प्रशुल्क 2000 में प्रतिमिनट 0.67 अमरीकी डॉलर से घट कर 2006 में प्रतिमिनट 0.02 अमरीकी डॉलर हो गया है।
- यूएसए कनाडा और यूके के लिए अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रशुल्क 2000 में प्रतिमिनट 1.36 अमरीकी डॉलर से घटकर 2004 में प्रतिमिनट 0.16 अमरीकी डालर हो गया है।
- स्थानीय कॉलों के लिए मोबाइल प्रशुल्क 1999 में प्रतिमिनट 0.36 अमरीकी डालर से घटकर 2006 में 0.009 अमरीकी डालर और 0.04 अमरीकी डालर के बीच हो गया है।

मोबाइल का प्रति प्रयोक्ता औसत राजस्व 5.06 अमरीकी डालर से 7.82 अमरीकी डालर प्रतिमाह के बीच है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

बुनियादी, सेल्यूलर मोबाइल, पेजिंग और मूल्यवर्द्धित सेवा, तथा उपग्रह द्वारा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन्स में, अनुमत संयुक्त विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 74% (स्वचालित मार्ग के तहत 49%) है बशर्ते कि दूरसंचार विभाग लाइसेंस प्रदान करे और कम्पनिया (जो निवेश कर रही हैं और जिनमें निवेश किया जा रहा है) विदेशी इक्विटी की अधिकतम सीमा और इक्विटी के अंतरण और उसमें वृद्धि के लिए लॉक-इन अवधि के लिए लाइसेंस शर्तों और अन्य लाइसेंस प्रावधानों का

अनुपालन करें (प्रेस नोट 3 (2007) और 2(2009)

निम्नलिखित के लिए लाइसेंसिंग और सुरक्षा अपेक्षाओं के अध्याधीन 74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति :-

रेडियो पेजिंग सेवा
इंटरनेट सेवा प्रदाता

निम्नलिखित दूरसंचार सेवाओं के मामले में 100% तक एफडीआई :-

- डार्क फाइबर प्रदान करने वाले अवसंरचना प्रदाता (आईपी श्रेणी 1);
- इलेक्ट्रॉनिक मेल; और
- वायस मेल
- शर्तों के अध्याधीन ऐसी कम्पनियां विश्व के अन्य भागों में सूचीबद्ध हैं, 5 वर्षों में अपनी 26% इक्विटी की बिक्री भारतीय जनता के पक्ष में करेंगी।
- विनिर्माण क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है।

निवेश अवसर और प्रोत्साहन

एक आकर्षक व्यापार और निवेश नीति तथा विदेशी सहयोग के लिए आकर्षक प्रोत्साहन के कारण भारत दूरसंचार उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए विश्व के सर्वाधिक आकर्षक बाजारों में से एक बन गया है।

- दूरसंचार उपस्कर के लिए विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं।
- दूरसंचार विनिर्माण परियोजनाओं में 100% विदेशी इक्विटी के लिए स्वचालित अनुमोदन, प्रौद्योगिकी शुल्क 2 मिलियन अमरीकी डालर तक, घरेलू बिक्री के लिए 5 प्रतिशत तक और निर्यात के लिए 8 प्रतिशत तक रायल्टी।
- दूरसंचार सेवाओं के लिए 74% (स्वचालित मार्ग के तहत 49%) विदेशी इक्विटी की अनुमति— बेसिक, सेल्यूलर मोबाइल पेजिंग, मूल्य वर्द्धित सेवाएं— और उपग्रह द्वारा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन्स।
- जोखिम पूंजी के माध्यम से वित्तपोषण पर कर सम्बन्धी छूट मिलने की संभावना।
- दूरसंचार क्षेत्र में लाभांश आय और निवेश की गई पूंजी की पूर्ण प्रत्यावर्तनीयता।

नेटवर्क विस्तार

विगत कुछ वर्षों के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में भारी वृद्धि देखी गयी है। मोबाइल बनाम फिक्स्ड फोनों और सार्वजनिक बनाम निजी सहभागिता के अनुसार भी इसमें उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। निम्नलिखित सारणी पिछले पांच वर्षों से दूरसंचार क्षेत्र के विकास की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

टेलीफोनों की संख्या 31.03.2003 तक 54.63 मिलियन से बढ़कर 31.03.2009 तक की स्थिति के अनुसार 430 मिलियन हो गई है। वायरलेस उपभोक्ताओं की संख्या 31.03.2003 को 13.3 मिलियन से बढ़कर 31.03.2009 को 392 मिलियन हो गई। जबकि स्थिर लाइन उपभोक्ताओं की संख्या 31.03.2003 के 41.33 मिलियन से घटकर 31.03.2009 को 38 मिलियन हो गई। पिछले 5 वर्षों के दौरान ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 0.18 मिलियन से बढ़कर 6.22 मिलियन हो गई।

टेलीघनत्व की प्रवृत्ति

देश में टेलीघनत्व 2003 में 5.11% से बढ़कर 31 मार्च 2009 में 36.98% हो गया। अर्थात् पिछले 5 वर्षों के दौरान 34.15% की सतत वृद्धि (लगभग 7% प्रतिवर्ष) रही। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीघनत्व मार्च, 2003 के 1.49% से बढ़कर 31 मार्च 2009 में लगभग 15.10% हो गया और शहरी क्षेत्रों में यह मार्च, 2003 के 14.32% से बढ़कर मार्च 2009 में 88.84% हो गया। इससे भारतीय दूरसंचार उपभोक्ताओं की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का पता चलता है।

ग्रामीण टेलीफोनी

ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराए गए 123.51 मिलियन स्थिर तथा डब्ल्यूएलएल कनेक्शनों (मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार) के अलावा, 57167 वीपीटी (66822 में से) प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, भारत के 85% गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की सुविधा है। 3 लाख से अधिक पीसीओ भी ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक अभिगम प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा, मोबाइल ग्रामीण संचार सेवा योजना (जीएसएस) - एक संचल सार्वजनिक कॉल केंद्र (पीसीओ) सेवा ग्रामीणों के घर

पर उपलब्ध कराई जाती है। इस समय, 2772 जीएसएस 12043 गांवों में उपलब्ध हैं। साथ ही, इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए देश के कुल 6337 ब्लॉकों में से 3500 ब्लॉक मुख्यालयों में संचार ढांचा (इंटरनेट किओस्को) की स्थापना की गई है। वर्ष 2010 तक 80 मिलियन ग्रामीण कनेक्शन का लक्ष्य वर्ष 2008 के दौरान ही पूरा कर लिया है। वर्ष 2010 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 19,000 टॉवरों सहित बेतार अवसंरचना की भागीदारी करने के लिए यूएसओ सब्सिडी सहायता योजना का भी उपयोग किया जा रहा है।

दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण क्षेत्र का कार्य निष्पादन

सरकारी नीति के परिणामस्वरूप देश में दूरसंचार उपस्कर के विनिर्माण में प्रगति हुई है। देश में महत्वपूर्ण दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण आधार है और पिछले कुछ वर्षों के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में सतत रूप से वृद्धि हुई है। दूरसंचार उपस्कर के उत्पादन और निर्यात के आंकड़े निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए हैं : (रु० करोड़ में)

वर्ष	उत्पादन	निर्यात
2002-03	14400	402
2003-04	14000	250
2004-05	16090	400
2005-06	17833	1500
2006-07	23656	1898
2007.2008	41270	8131

भिन्न-भिन्न प्रकार के दूरसंचार उपस्कर, विशेषकर मोबाइल दूरसंचार के लिए बढ़ती मांग ने विनिर्माण के क्षेत्र में घरेलू तथा विदेशी निवेशकर्ताओं को उत्कृष्ट अवसर प्रदान किया है। पिछले दो वर्षों के दौरान अनेक नामी दूरसंचार कंपनियों ने भारत में विनिर्माण आधारों की स्थापना की। एरिक्सन ने जयपुर में जीएसएम रेडियो बेस स्टेशन विनिर्माण सुविधा की स्थापना की। एल्कोटेक ने बेंगलूर में हैण्डसेट विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना की तथा नोकिया सिमेन्स नेटवर्क्स ने चेन्नई में अपने विनिर्माण संयंत्र की स्थापना की है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने पुणे के निकट जीएसएम मोबाइल फोन विनिर्माण संयंत्र की स्थापना की। एरिक्सन ने चेन्नई में अपने अनुसंधान और विकास केंद्र की स्थापना की। फ्लेक्ट्रॉनिक्स ने चेन्नई में एसईजेड की स्थापना की। अन्य प्रमुख कंपनियों जैसे फॉक्सकॉन, एस्पकॉम, सोलेक्ट्रॉन आदि ने अपने-अपने विनिर्माण इकाईयों की स्थापना भारत में करने का निर्णय लिया है।

सरकार ने दूरसंचार उपस्कर एवं सेवा निर्यात संवर्द्धन परिषद तथा दूरसंचार परीक्षण एवं सुरक्षा अधिप्रमाणन केंद्र (टीईटीसी) की स्थापना पहले ही कर ली है। एल्काटेल, सिस्को जैसी अनेक कंपनियों ने भारत में अपने अनुसंधान और विकास केंद्रों की स्थापना करने में भी रुचि दिखाई है। उपर्युक्त पहल के साथ भारत के दूरसंचार उपस्करों के लिए एक विनिर्माण केंद्र बन जाने की आशा है।

अवसर

भारत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, अवसंरचना विक्रेताओं, विनिर्माताओं और संबद्ध सेवा कंपनियों के लिए अभूतपूर्व अवसर उपलब्ध कराता है। दूरसंचार क्षेत्र में विकास और निवेश के लिए विस्तृत अवसर प्रदान करने के निमित्त अनेक घटकों का योगदान है :

- सेवा क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने वाली बढ़ती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था
- जनसंख्या की रूपरेखा का युवावस्था उन्मुखी होना,
- बढ़ती हुई आय के साथ शहरीकरण

निवेशकर्ता भारतीय क्रांति के लाभों को हथियाने और प्रचालनों का विकसित अर्थव्यवस्थाओं से बाहर विविधीकरण करने की सोच सकते हैं जिनका दूरसंचार बाजार संतृप्त हो चुका है और जिनकी सकल घरेलू उत्पाद विकास दरें कम हैं।

30.04.2000 से 31 मार्च 2009 के दौरान भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अंतर्प्रवाह लगभग 28474 मिलियन था। इसके अलावा देश में अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी प्रवाह का 8 प्रतिशत से अधिक दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित है।

अनुसंधान और विकास

भारत ने एक प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाता के रूप में अपने प्रभुत्व को साबित किया है। आम जनता के लिए वहनीय प्रौद्योगिकी तथा दूरसंचार नेटवर्क के लिए व्यापक सुरक्षा अवसंरचना विकसित करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अगली पीढ़ी के नेटवर्क को अंतर प्रचालनात्मकता प्रदान करने के निमित्त परखी हुई अवसंरचना तैयार करने संबंधी अनुसंधान किया जा रहा है। आशा है कि अनुसंधान एवं विकास दूरसंचार उपकरण 2010 तक वर्तमान के 15% के स्तर से दुगुणा हो जाएगा। आधुनिक प्रौद्योगिकी की शुरुआत को दिशा दी जा रही है।

अनुसंधान एवं विकास

भारत ने प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाता के रूप में अपना प्रभुत्व सिद्ध किया है। आम लोगों के लिए किफायती प्रौद्योगिकी और साथ ही दूरसंचार नेटवर्क के लिए व्यापक सुरक्षा अवसंरचना का विकास करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अगली पीढ़ी नेटवर्क में अंतर प्रचालनीयता सुनिश्चित करने के लिए संपरीक्षित अवसंरचना बनाने के लिए अनुसंधान चल रहा है। संभावना है कि दूरसंचार उपस्कर अनुसंधान एवं विकास कार्य वर्ष 2010 तक वर्तमान के 15% के स्तर से दुगुणा हो जाएगा। आधुनिक प्रौद्योगिकियों के समावेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मौजूदा और उभरती प्रौद्योगिकियों के संबंध में प्रायोगिक परियोजनाएं संचालित की गईं जिनमें वाई मैक्स, 3जी इत्यादि शामिल हैं। ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार करने की क्षमता रखने वाली प्रौद्योगिकियों पर बल दिया जा रहा है। 3जी और ब्रॉडबैंड बेतार अभिगम (बीडब्ल्यूए) नीति जारी की जा चुकी है। दूरसंचार क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना को और बेहतर बनाने तथा प्रौद्योगिकीय अंतराल को कम करने के लिए सेल्यूलर प्रचालकों, अग्रणी शैक्षणिक संस्थाओं और भारत सरकार ने मिलकर दूरसंचार उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना की है। उत्कृष्टता केन्द्र के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है :-

- दूरसंचार विजन 2010 प्राप्त करना जिसमें निश्चित विकास मॉडल का उल्लेख किया गया है तथा इसमें और वृद्धि करना ।
- सुरक्षित सूचना अवसंरचना जो देश की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है।

- सतत विकास के लिए ज्ञान के माध्यम से क्षमता निर्माण ।
- स्थिरता के लिए सुनियोजित भावी विकास का समर्थन।
- आम लोगों तक पहुंच बनाने के लिए ग्रामीण-शहरी प्रौद्योगिकीय अंतराल को कम करना ।
- उपलब्ध दक्षता का उपयोग करना तथा नवाचार के लिए माहौल बनाना ।
- आपदा के दौरान राष्ट्रीय सूचना अवसंरचना (एनआईआई) का प्रबंधन।
- क्षेत्रीय दूरसंचार नेतृत्व के रूप में दक्षिण पूर्व एशिया की अपेक्षा को पूरा करना ।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार की सहायता और प्रवर्तकों के रूप में निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के दूरसंचार प्रचालकों की भागीदारी से भारत के चुनिंदा शैक्षणिक संस्थानों में दूरसंचार से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के सात उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। उत्कृष्टता केंद्र के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र

क्र०सं०	संबद्ध संस्था	प्रवर्तक	सौंपे गए कार्य
1	आईआईटी खड़गपुर	वोडाफोन एस्सार और टेक्सास इन्सट्रूमेंट्स	अगली पीढ़ी का नेटवर्क और नेटवर्क प्रौद्योगिकी
2	आईआईटी दिल्ली	भारती एयरटेल	दूरसंचार प्रौद्योगिकी और प्रबंधन
3	आईआईएससी (भारतीय विज्ञान संस्थान), बंगलुरु	एयरसेल और टेक्सास इन्स्ट्रूमेंट्स	सूचना सुरक्षा और अवसंरचना का आपदा प्रबंधन
4.	आईआईटी कानपुर	बीएसएनएल और अल्फिऑन	प्रौद्योगिकी एकीकरण, मल्टी मीडिया और संगणनात्मक गणित शास्त्र
5.	आईआईटी चेन्नै	रिलायंस कम्यूनिकेशन्स	दूरसंचार अवसंरचना और उर्जा
6.	आईआईटी मुंबई	टाटा टेलीसर्विसेज	ग्रामीण अनुप्रयोग
7	आईआईएम अहमदाबाद	आइडिया सेल्यूलर	नीति, विनियमन, गवर्नेंस, उपभोक्ता सेवा और विपणन

सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य

1. नेटवर्क विस्तार
 - वर्ष 2010 तक 500 मिलियन कनेक्शन
 - वर्ष 2010 तक 90% भौगोलिक क्षेत्र को मोबाइल कवरेज प्रदान करना ।
 2. ग्रामीण टेलीफोनी
 - वर्ष 2010 तक प्रति दो ग्रामीण घरों को एक फोन (लगभग 80 मिलियन ग्रामीण कनेक्शन)
 - वर्ष 2010 तक शहरी-ग्रामीण प्रौद्योगिकीय अंतराल को वर्तमान के 25:1 से कम करके 5:1 तक करना।
- 200 मिलियन कनेक्शन ग्रामीण को 2012 में

3. ब्रॉडबैंड
 - 1 एमबीपीएस की न्यूनतम गति के साथ ब्रॉडबैंड
 - वर्ष 2010 के अंत तक सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों तथा जन स्वास्थ्य सेवा केंद्रों को ब्रॉडबैंड कवरेज प्रदान करना।
 - वर्ष 2010 तक सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कवरेज प्रदान करना ।

ब्रॉडबैंड कवरेज प्रदान करना पंचायतों को 2012
4. अवसंरचना की भागीदारी
 - वर्ष 2010 तक ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 19000 टॉवरों के लिए साझा बेतार अवसंरचना हेतु सार्वभौमिक सेवा दायित्व की आर्थिक सहायता की योजना
 - वर्ष 2010 तक शहरी क्षेत्रों में साझेदारी में 70% तक वृद्धि करना ।
5. आईपीटीवी और मोबाइल टीवी के प्रसार की शुरुआत करना
 - वर्ष 2010 तक 600 शहरों में आईपीटीवी
6. विनिर्माण
 - दूरसंचार के लिए विशेष रूप से अधिकाधिक विशेष आर्थिक ज़ोन की सुविधा उपलब्ध कराते हुए भारत को दूरसंचार विनिर्माण में प्रमुख केंद्र बनाना।
 - वर्ष 2010 तक उत्पादन चौगुना करना ।
 - निर्यात 10 बिलियन के स्तर का लक्ष्य प्राप्त किया गया ।
7. अनुसंधान एवं विकास
 - प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाता के रूप में भारत की विशिष्टता
 - दूरसंचार नेटवर्क के लिए व्यापक सुरक्षा अवसंरचना ।
 - अगली पीढ़ी के नेटवर्क में अंतर प्रचालनीयता सुनिश्चित करने के लिए संपरीक्षित अवसंरचना बनाना।
 - दूरसंचार उपकरणों में अनुसंधान और विकास कार्य को मौजूदा 15% के स्तर से 2010 तक दुगुना करना ।
8. अंतरराष्ट्रीय बैंडविड्थ
 - आईटीईएस क्षेत्र के तीव्र विकास को गति प्रदान करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर पर्याप्त अंतरराष्ट्रीय बैंडविड्थ की उपलब्धता को सुकर बनाना ।

भारतीय दूरसंचार एक नजर में

(31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार)

नेटवर्क के आकार में विश्व में स्थान	तीसरा
टेलीघनत्व (प्रति सौ आबादी)	37
टेलीफोन कनेक्शन (मिलियन में)	
स्थिर	38
मोबाइल	392
जोड़	430
ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन(66822 में से)	57167
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (मिलियन में) (जनवरी, 2000 से 31 मार्च , 2009 तक)	28447 मिलियन
जारी किए गए लाइसेंस	
बुनियादी	2
सीएमटीएस	39
यूएसएस	240
अवसंरचना प्रदाता I	177
आईएसपी (इंटरनेट)	349
टेलीफोनी (ब्राडबैंड) सहित आईएसपी	125
राष्ट्रीय लंबी दूरी	26
अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी	24

